NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 06-11-2024

विषय सूची

भारत में आंतरिक प्रवासन

अन्न चक्र (Anna Chakra) और स्कैन (SCAN) पोर्टल

बिटकॉइन की नई ऊंचाइयों पर उछाल

विश्व मृदा दिवस 2024

अतिपर्यटन/ओवरटूरिज्म (Overtourism): प्रभाव और सतत पर्यटन के लिए कदम

इसरो ने ESA के Proba-3 सैटेलाइट के साथ PSLV-C59 रॉकेट प्रक्षेपित किया

संक्षिप्त समाचार

हॉर्नबिल महोत्सव

69वां महापरिनिर्वाण दिवस

संसद ने भारतीय वायुयान विधेयक पारित किया

पनडुब्बी/सबमरीन केबल लचीलेपन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार संस्था

भारत और स्लोवेनिया ने पांच वर्षीय सहयोग योजना की घोषणा की

UGC ने UG और PG डिग्री के लिए मसौदा दिशानिर्देश जारी किए

मारबर्ग विषाणु रोग [Marburg Virus Disease (MVD)]

NHAI ठेकेदार रेटिंग प्रणाली

राष्ट्रीय कानूनी माप विज्ञान पोर्टल (मडंच)

बिजनेस 4 लैंड पहल (Business 4 Land Initiative)

भारत में आंतरिक प्रवासन

सन्दर्भ

- भारत में आंतरिक प्रवासन शहरी और ग्रामीण दोनों अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भारत में प्रवासन

- करीब 85% प्रवासन राज्य के अंदर हुआ है।
- NSSO सर्वेक्षणों के अनुसार, ग्रामीण-शहरी प्रवास प्रवास का सबसे प्रमुख रूप है और इसमें भारत में सभी आंतरिक प्रवासन का 25.2% शामिल है, इसके बाद शहरी-शहरी (22.9%), शहरी-ग्रामीण (17.5%) और ग्रामीण-ग्रामीण (4.4%) का स्थान है।
- भारत में प्रवासन (2020-21) सर्वेक्षण के अनुसार, 29% भारतीय प्रवासी हैं, जो लगभग 400 मिलियन है।
- **धीमी शहरीकरण दर:** अर्थशास्त्रियों ने बताया है कि भारत में शहरीकरण की दर अधिकांश देशों की तुलना में कम है।
    - विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, 2021 तक 35% भारतीय शहरों में रहते थे, जबकि चीन में यह 63% और निम्न-मध्यम आय वाले देशों में 43% था।
    - भारत की धीमी शहरीकरण दर शहरी आर्थिक विकास के बावजूद सीमित आंतरिक गतिशीलता का संकेत देती है।

प्रवासी कौन हैं?

- जनगणना में भारत में दो प्रकार के प्रवासियों को परिभाषित किया गया है - जन्म स्थान के आधार पर प्रवास और अंतिम निवास के आधार पर प्रवास।
    - अंतिम निवास के आधार पर प्रवासी वह होता है जो प्रवास से कम से कम छह महीने पहले लगातार गणना के स्थान से अलग किसी स्थान पर रहता है।
- 1991 और 2011 के बीच, ग्रामीण भारत में प्रवासियों की हिस्सेदारी 26.1% से बढ़कर 32.5% हो गई।
    - जबकि शहरी भारत में यह 32.3% से बढ़कर 48.4% हो गई।
- **कारण:** विवाह के लिए प्रवासन, प्रवास के सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक रहा है और इनमें से अधिकांशतः प्रवासी सामान्यतः महिलाएँ होती हैं।
    - कार्य या रोज़गार के लिए प्रवास की प्रवृत्ति दर्शाती है कि ऐसे प्रवासी ज़्यादातर युवा होते हैं, जो जनसांख्यिकीय लाभांश की भूमिका को दर्शाता है।
    - यह जाति, जनजाति, धार्मिक और क्षेत्रीय पहचान के आधार पर भी विभाजित है।

भारत में आंतरिक प्रवासन की प्रकृति

- **ग्रामीण से शहरी प्रवास:** शहरों में बेहतर रोजगार, शिक्षा और जीवन स्तर की खोज से प्रेरित सबसे सामान्य रूप है।
- **आर्थिक कारक:** बेहतर रोजगार के अवसरों के लिए प्रवास, विशेष रूप से कृषि, उद्योग और निर्माण में।
- **मौसमी और अस्थायी प्रवास:** चरम कृषि मौसम या अस्थायी रोजगार के अवसरों के दौरान श्रमिकों की आवाजाही।
- **अंतरराज्यीय और अंतरराज्यीय प्रवास:** लोग बेहतर अवसरों या रहने की स्थिति की खोज में राज्यों के अंदर और एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करते हैं।

- **वापसी प्रवास:** पारिवारिक कारणों, आर्थिक परिवर्तनों या घर पर बेहतर अवसरों के कारण मूल स्थान पर वापस प्रवास।
- **प्राकृतिक आपदाएँ और विस्थापन:** बाढ़, सूखा या भूकंप जैसी आपदाओं के कारण प्रवास।
- **शैक्षणिक और वैवाहिक प्रवास:** उच्च शिक्षा के लिए जाने वाले छात्र और विवाह के लिए प्रवास करने वाले व्यक्ति।

भारत में आंतरिक प्रवासन के समक्ष विभिन्न चुनौतियाँ हैं:

- **आर्थिक मुद्दे:** प्रवासी अक्सर कम वेतन वाली, अकुशल रोजगारों में कार्य करते हैं, जहाँ कार्य करने की स्थिति खराब होती है और वे शोषण के शिकार होते हैं।
- **खराब रहने की स्थिति:** विभिन्न प्रवासी भीड़भाड़ वाली झुग्गियों में रहते हैं, जहाँ स्वास्थ्य सेवा, पानी और स्वच्छता जैसी बुनियादी सेवाओं तक उनकी पहुँच सीमित होती है।
- **सामाजिक बहिष्कार:** प्रवासियों को भेदभाव और सांस्कृतिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे उनका सामाजिक एकीकरण बाधित होता है।
- **कानूनी चुनौतियाँ:** प्रवासियों के पास प्रायः उचित पहचान का अभाव होता है, जिससे सामाजिक सुरक्षा और सरकारी योजनाओं तक उनकी पहुँच सीमित हो जाती है।
- **शहरी बुनियादी ढाँचे पर दबाव:** तेज़ी से बढ़ता शहरी प्रवास शहरों में आवास, परिवहन और संसाधनों पर दबाव डालता है।
- **ग्रामीण क्षेत्रों पर प्रभाव:** ग्रामीण क्षेत्रों में बाहरी प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी, श्रम की कमी और आर्थिक गिरावट का सामना करना पड़ता है।

सरकारी पहल

- **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY):** यह जीवन बीमा योजना प्रवासी श्रमिक की मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को 2 लाख रुपये प्रदान करती है।
- **पीएम स्वनिधि योजना:** यह प्रवासी श्रमिकों सहित रेहड़ी-पटरी वालों को 10,000 रुपये तक के सूक्ष्म ऋण प्रदान करती है, ताकि उन्हें अपना व्यवसाय फिर से शुरू करने या उसका विस्तार करने में सहायता मिल सके।
- **प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (PM-SYM):** PM-SYM पेंशन योजना 18-40 वर्ष की आयु के श्रमिकों के लिए उपलब्ध है, जो 60 वर्ष की आयु होने पर 3000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान करती है।
- **ई-श्रम पोर्टल: वन-स्टॉप समाधान:** इसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 2021 में लॉन्च किया गया था, और 3 वर्षों की अवधि में 30 करोड़ से अधिक श्रमिक पहले ही ई-श्रम पर अपना पंजीकरण करा चुके हैं।
    - इसे असंगठित श्रमिकों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने और सरकारी कल्याण योजनाओं तक उनकी पहुँच को सुविधाजनक बनाने के लिए लॉन्च किया गया है।
- **एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड (ONORC) योजना:** यह योजना प्रवासियों को देश में किसी भी राशन की दुकान से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) से खाद्यान्न और सब्सिडी प्राप्त करने की अनुमति देती है, चाहे वे किसी भी मूल स्थान पर रहते हों।
- **प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY):** इस पहल का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों सहित शहरी गरीबों को सब्सिडी और वित्तीय सहायता के माध्यम से किफायती आवास प्रदान करना है।

आगे की राह

- **कौशल विकास में सुधार:** प्रवासियों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार करें।

- **सामाजिक सुरक्षा और कल्याण:** प्रवासियों के लिए स्वास्थ्य सेवा, आवास और बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को मजबूत करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे राज्यों में पोर्टेबल हैं।
- **बढ़ी हुई कानूनी सुरक्षा:** प्रवासी श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री स्थापित करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें मान्यता प्राप्त है और कानूनी सुरक्षा, उचित वेतन एवं कार्यस्थल के अधिकारों तक उनकी पहुँच है।
- **ग्रामीण विकास को बढ़ावा दें:** ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करें और बुनियादी ढांचे में सुधार करें ताकि ग्रामीण से शहरी प्रवास के दबाव को कम किया जा सके।

Source: IE

अन्न चक्र (Anna Chakra) और स्कैन (SCAN) पोर्टल

सन्दर्भ

- केंद्र सरकार ने हाल ही में अन्न चक्र और NFSA(SCAN) पोर्टल के लिए सब्सिडी दावा आवेदन का शुभारंभ किया, जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को आधुनिक बनाने और सब्सिडी दावा प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए सुधार शुरू हो गए।

अन्ना चक्र क्या है?

- इसे खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) और IIT दिल्ली के फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर (FITT) के सहयोग से विकसित किया है।
- यह किसानों, ट्रांसपोर्टरों, गोदामों और उचित मूल्य की दुकानों (FPS) को शामिल करते हुए आपूर्ति श्रृंखला में खाद्यान्न की आवाजाही को अनुकूलित करने के लिए उन्नत एल्गोरिदम का उपयोग करता है।

अन्ना चक्र की मुख्य विशेषताएं

- **मार्ग अनुकूलन:** कुशल मार्गों की पहचान करने के लिए एल्गोरिदम का लाभ उठाना, परिवहन समय और लागत को कम करना।
- **रेलवे और लॉजिस्टिक्स प्लेटफ़ॉर्म के साथ एकीकरण:** रेलवे के फ्रेट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम (FOIS) और PM गति शक्ति प्लेटफ़ॉर्म के साथ एकीकृत, जो FPS एवं गोदामों के भौगोलिक स्थानों का मानचित्रण करता है।
- **पर्यावरणीय लाभ:** परिवहन से संबंधित उत्सर्जन में कमी से कार्बन फुटप्रिंट कम होता है, जो सतत विकास में योगदान देता है।

SCAN पोर्टल

- NFSA (SCAN) पोर्टल के लिए सब्सिडी दावा आवेदन का उद्देश्य NFSA के तहत राज्यों के लिए सब्सिडी दावा प्रक्रिया को सरल और तेज करना है।
- मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं:
  - **सिंगल-विंडो सबमिशन:** राज्यों द्वारा सुव्यवस्थित दावा प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।
    - **स्वचालित वर्कफ़्लो (Automated Workflow):** दावा जांच, अनुमोदन और निपटान का नियम-आधारित स्वचालन।
    - **सब्सिडी निपटान में दक्षता:** वास्तविक समय की निगरानी को सक्षम बनाता है और निधि वितरण में देरी को कम करता है।

खाद्य सुरक्षा के लिए अन्य पहल

- **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY):** लाभार्थियों को प्रत्येक माह 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त मिलता है।
    - मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई इस योजना को जनवरी 2024 से पांच वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है।
- **अंत्योदय अन्न योजना (AAY):** पात्र परिवारों को अत्यधिक रियायती दरों पर मासिक 35 किलोग्राम अनाज मिलता है - चावल के लिए 3 रुपये प्रति किलोग्राम और गेहूं के लिए 2 रुपये प्रति किलोग्राम - परिवार के आकार पर ध्यान दिए बिना।
- **सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन (IM-PDS):** एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ONORC) की सुविधा देता है, जिससे लाभार्थियों को पूरे भारत में खाद्यान्न प्राप्त करने की अनुमति मिलती है, जिससे प्रवासी श्रमिकों की खाद्य सुरक्षा तक पहुँच में सुधार होता है।
- **विकेंद्रीकृत खरीद (DCP) योजना:** राज्यों को सीधे खाद्यान्न खरीदने एवं वितरित करने के लिए प्रोत्साहित करती है, रसद लागत को कम करती है और खाद्य सुरक्षा का स्थानीय प्रबंधन सुनिश्चित करती है।

PDS प्रणाली की चुनौतियाँ

- **खाद्यान्नों का दुरुपयोग:** खाद्यान्नों का एक बड़ा हिस्सा परिवहन के दौरान लीक हो जाता है या काला बाज़ार में चला जाता है।
- **समावेशन और बहिष्करण त्रुटियाँ:** अपात्र परिवारों को लाभ मिलता है, जिससे सिस्टम पर भार पड़ता है।
    - पहचान प्रक्रिया में खामियों के कारण वास्तविक लाभार्थियों को बाहर रखा जाता है।
- उचित मूल्य की दुकानों (FPS) में भ्रष्टाचार, जैसे कि खाद्यान्नों को कम तौलना, खराब गुणवत्ता वाले सामान बेचना या अधिक कीमत वसूलना, सिस्टम की प्रभावशीलता को कमज़ोर करता है।
- अपर्याप्त भंडारण सुविधाओं के कारण खाद्यान्न खराब हो जाता है और बर्बाद हो जाता है।

आगे की राह

- **बुनियादी ढांचे का विस्तार:** संचालन के बढ़ते पैमाने का समर्थन करने के लिए भंडारण और परिवहन सुविधाओं को मजबूत करना।
- **तकनीकी एकीकरण:** वास्तविक समय की ट्रैकिंग और अक्षमताओं को कम करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं ब्लॉकचेन का लाभ उठाना।
- **स्थायी अभ्यास:** कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए हरित रसद और ऊर्जा-कुशल परिवहन समाधानों को बढ़ावा देना।

Source: PIB

बिटकॉइन की नई ऊंचाइयों पर उछाल

सन्दर्भ

- अमेरिकी चुनाव रैली के बाद बिटकॉइन पहली बार 100,000 डॉलर को पार कर गया।

बिटकॉइन क्या है?

- बिटकॉइन को 2009 में सातोशी नाकामोटो नामक एक अज्ञात निर्माता द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

- यह विश्व की पहली विकेन्द्रीकृत क्रिप्टोकरेंसी है, जो लेनदेन को सुरक्षित और सत्यापित करने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करती है।
- बिटकॉइन नेटवर्क सार्वजनिक और ओपन-सोर्स है, जिसका अर्थ है कि कोई भी इसमें भाग ले सकता है।

बिटकॉइन की मुख्य विशेषताएं

- **विकेंद्रीकरण:** बिटकॉइन कंप्यूटर (नोड्स) के विकेंद्रीकृत नेटवर्क पर कार्य करता है, जिसका अर्थ है कि कोई भी एकल इकाई इसे नियंत्रित नहीं करती है।
- **ब्लॉकचेन तकनीक:** बिटकॉइन लेनदेन को ब्लॉकचेन नामक एक सार्वजनिक, अपरिवर्तनीय खाता बही में संग्रहीत किया जाता है। यह पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- **सीमित आपूर्ति:** केवल 21 मिलियन बिटकॉइन ही होंगे, जो इसे एक अपस्फीतिकारी संपत्ति बनाता है।
- **खनन:** नए बिटकॉइन खनन नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से बनाए जाते हैं, जहाँ खनिक जटिल गणितीय समस्याओं को हल करने और लेनदेन को सत्यापित करने के लिए कम्प्यूटेशनल शक्ति का उपयोग करते हैं। यह प्रक्रिया नेटवर्क को सुरक्षित भी करती है।
- **सुरक्षा और क्रिप्टोग्राफी:** बिटकॉइन लेनदेन को सुरक्षित करने के लिए मजबूत क्रिप्टोग्राफ़िक तकनीकों का उपयोग करता है, यह सुनिश्चित करता है कि उपयोगकर्ताओं की पहचान और ब्लॉकचेन की अखंडता सुरक्षित है।

बिटकॉइन की कीमतों में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कारक

- **सीमित आपूर्ति:** बिटकॉइन की 21 मिलियन कॉइन की निश्चित आपूर्ति है, जिससे मांग बढ़ने पर कीमत बढ़ सकती है।
- **निवेशक भावना:** सकारात्मक समाचार या विकास, जैसे संस्थागत गोद लेना या अनुकूल विनियमन, कीमतों को बढ़ा सकते हैं, जबकि नकारात्मक समाचार, जैसे सरकारी कार्रवाई या सुरक्षा उल्लंघन, कीमत में गिरावट ला सकते हैं।
- **कर नीतियाँ:** देश बिटकॉइन लेनदेन या लाभ पर कर लगाने का निर्णय कैसे लेते हैं, यह भी मांग और मूल्य निर्धारण को प्रभावित कर सकता है।
- **सुरक्षा मुद्दे:** हैक, कमजोरियाँ या बिटकॉइन की सुरक्षा के बारे में चिंताएँ कीमत पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं।
- **मूल्य हेरफेर:** "व्हेल" जैसे बड़े खिलाड़ी बड़ी खरीद या बिक्री करके बिटकॉइन की कीमत में हेरफेर कर सकते हैं, जिससे अल्पावधि में इसकी कीमत प्रभावित होती है।
- **भू-राजनीतिक घटनाएँ:** युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता या प्रमुख आर्थिक प्रतिबंध जैसी घटनाएँ मूल्य में उतार-चढ़ाव ला सकती हैं, क्योंकि बिटकॉइन को एक सुरक्षित आश्रय के रूप में देखा जा सकता है।

क्रिप्टोकरेंसी पर भारत सरकार का दृष्टिकोण

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लंबे समय से सभी क्रिप्टो पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है, चेतावनी दी है कि इससे देश की मौद्रिक और राजकोषीय स्थिरता को अस्थिर करने की क्षमता है।
- क्रिप्टो के लिए कोई नियामक ढांचा नहीं होने के बावजूद, भारत सरकार ने एक नई कर व्यवस्था शुरू की थी, जिसमें क्रिप्टो आय पर 30% कर लगाया गया और क्रिप्टो लेनदेन पर 1% स्रोत पर कर कटौती (TDS) की गई।

भारत में क्रिप्टोकरेंसी विनियमन के उभरते मुद्दे:

- **उच्च कराधान दरें:** सरकार अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उन्हें अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने और निवेश

को प्रोत्साहित करने के लिए इन दरों को संशोधित करने पर विचार कर सकती है।

- **नियामक अस्पष्टता:** एक व्यापक नियामक ढांचे की अनुपस्थिति व्यवसायों और निवेशकों के लिए अनिश्चितता उत्पन्न करती है, जो दीर्घकालिक योजना को प्रभावित करती है।
- **पारंपरिक वित्तीय प्रणालियों के साथ एकीकरण:** अस्थिरता और प्रणालीगत जोखिम के बारे में चिंताओं के कारण पारंपरिक वित्तीय प्रणालियों में क्रिप्टोकरेंसी का एकीकरण चुनौतीपूर्ण बना हुआ है।
- **वैश्विक नियामक असमानताएँ:** विभिन्न देशों में नियामक दृष्टिकोणों में अंतर भ्रम उत्पन्न करता है और क्रिप्टो व्यवसायों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संचालन को जटिल बनाता है।

आगे की राह

- वित्तीय संस्थाएँ हाइब्रिड उत्पाद विकसित करने के लिए क्रिप्टो फर्मों के साथ साझेदारी की संभावना खोज कर सकती हैं जो नवाचार को बढ़ावा देते हुए जोखिम को कम करते हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय विनियामक निकाय सीमा पार लेनदेन को सुगम बनाने के लिए विनियमों में सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में कार्य कर सकते हैं।
- क्रिप्टोक्यूरेंसी और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक को अंतिम रूप देने में तेज़ी लाई जा सकती है ताकि व्यवसायों और निवेशकों को आवश्यक स्पष्टता एवं स्थिरता प्रदान की जा सके।
- भारत क्रिप्टो स्पेस में खुद को अग्रणी के रूप में स्थापित कर सकता है, जो तकनीकी नवाचार और वित्तीय समावेशन को अपनाने वाले नए भारत के व्यापक दृष्टिकोण में योगदान दे सकता है।

Source: IE

विश्व मृदा दिवस 2024

सन्दर्भ

- विश्व मृदा दिवस, जो प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है, जीवन को बनाए रखने में मृदा की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाता है।

विश्व मृदा दिवस

- **पृष्ठभूमि:** विश्व मृदा दिवस की अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ (IUSS) द्वारा 2002 में प्रस्तुत की गई थी।
    - FAO सम्मेलन ने जून 2013 में सर्वसम्मति से विश्व मृदा दिवस का समर्थन किया और दिसंबर 2013 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 दिसंबर 2014 को पहला आधिकारिक विश्व मृदा दिवस घोषित करके प्रतिक्रिया व्यक्त की।
- **2024 का थीम:** मृदा की देखभाल: मापें, निगरानी करें, प्रबंधन करें।

मृदा का महत्व

- **जीवन का आधार:** मृदा आवश्यक पोषक तत्व, पानी और ऑक्सीजन प्रदान करके पौधों की वृद्धि का समर्थन करती है, जो स्थलीय खाद्य श्रृंखलाओं का आधार बनती है।
- **पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ:** प्राकृतिक जल फ़िल्टर के रूप में कार्य करती है, प्रदूषकों को हटाती है और भूजल को फिर से भरती है।
- **जलवायु विनियमन:** कार्बन पृथक्करण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को संग्रहीत करके जलवायु परिवर्तन को कम करता है।
- **जैव विविधता हॉटस्पॉट:** मृदा में सूक्ष्म जीवों से लेकर कीड़ों तक विविध जीव होते हैं, जो पोषक चक्रण को सुविधाजनक बनाते हैं और पौधों के स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं।

मृदा निम्नीकरण क्या है?

- मृदा क्षरण से तात्पर्य खराब भूमि प्रबंधन, वनों की कटाई, अतिचारण, शहरीकरण एवं रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग जैसे कारकों के कारण मृदा स्वास्थ्य में गिरावट से है।
- FAO का अनुमान है कि वैश्विक मिट्टी का 33% मध्यम से गंभीर रूप से क्षीण हो चुका है।
    - भारत में 90% ऊपरी मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी है, जबकि 50% में पोटेशियम की कमी है।

मृदा स्वास्थ्य के लिए चुनौतियाँ

- **पोषक तत्वों की हानि:** अनियंत्रित कटाव के कारण उपजाऊ ऊपरी मिट्टी का क्षरण हुआ है, जिससे फसल की उपज प्रभावित हुई है।
- **अत्यधिक रासायनिक उपयोग:** सिंथेटिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग ने मिट्टी की गुणवत्ता को खराब कर दिया है, सूक्ष्मजीवी गतिविधि को बाधित किया है, और कार्बनिक कार्बन के स्तर को कम कर दिया है।
- **शहरीकरण:** तेजी से बढ़ते शहरी विस्तार ने कृषि योग्य भूमि पर अतिक्रमण किया है, जिससे कृषि के लिए मिट्टी की उपलब्धता और कम हो गई है।
- **जलवायु परिवर्तन:** अनियमित वर्षा पैटर्न और बढ़ते तापमान मिट्टी के क्षरण को बढ़ाते हैं।

मृदा संरक्षण के लिए सरकारी पहल

- **मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना:** यह किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग को प्रोत्साहित करने और उत्पादकता में सुधार करने के लिए मिट्टी की पोषक स्थिति रिपोर्ट प्रदान करती है।
- **जैविक खेती को बढ़ावा:** परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY) जैसी पहल मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जैविक खेती के तरीकों को प्रोत्साहित करती है।
- **सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन (NMSA):** यह एकीकृत कृषि प्रणालियों और कृषि वानिकी प्रथाओं के माध्यम से मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है।

वैश्विक पहल

- **वैश्विक मृदा भागीदारी (GSP):** यह वैश्विक मृदा शासन में सुधार और स्थायी मृदा प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए FAO के नेतृत्व वाली पहल है।
- **संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए सम्मेलन (UNCCD):** यह भूमि क्षरण को रोकने और वैश्विक स्तर पर स्थायी भूमि प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है।
    - इसने 2030 तक भूमि क्षरण तटस्थता (LDN) के लिए प्रतिज्ञा की है।
- **4 प्रति 1000 पहल:** इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए मृदा कार्बन स्टॉक को वार्षिक 0.4% बढ़ाना है।

आगे की राह

- **एकीकृत मृदा प्रबंधन:** मृदा पोषक तत्वों को स्थायी रूप से पुनर्स्थापित करने के लिए जैविक और रासायनिक उर्वरकों को मिलाएं।
- **बढ़ी हुई निगरानी:** मृदा स्वास्थ्य और क्षरण प्रवृत्तियों की निगरानी के लिए उपग्रह इमेजरी और एआई-आधारित उपकरणों जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करें।
- **सामुदायिक सहभागिता:** स्थानीय समुदायों को समोच्च जुताई और फसल चक्र जैसी मृदा संरक्षण तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें।

Source: DTE

अतिपर्यटन/ओवरटूरिज्म(Overtourism): प्रभाव और सतत पर्यटन के लिए कदम

सन्दर्भ

- पर्यटन मंत्रालय ने अति पर्यटन को रोकने और सतत पर्यटन प्रथाओं के लिए भारत के 23 राज्यों में कम ज्ञात पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए 3,295.76 करोड़ रुपये की 40 परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

ओवरटूरिज्म/अतिपर्यटन क्या है?

- ओवरटूरिज्म तब होता है जब किसी गंतव्य पर पर्यटकों की संख्या उन्हें स्थायी रूप से प्रबंधित करने की क्षमता से अधिक हो जाती है, जिससे पर्यावरणीय गिरावट, सांस्कृतिक कमजोर पड़ने और खराब आगंतुक अनुभव होते हैं।

ओवरटूरिज्म/अतिपर्यटन के कारण

- **बजट यात्रा:** किफायती एयरलाइन और कम लागत वाले आवास यात्रा को अधिक सुलभ बनाते हैं।
- **सोशल मीडिया:** प्रभावशाली लोग गंतव्यों को लोकप्रिय बनाते हैं, जिससे "इंस्टाग्राम योग्य" स्थानों की खोज करने वाले आगंतुकों की संख्या में वृद्धि होती है।
- **मध्यम वर्गीय पर्यटन:** भारत और चीन जैसे देशों में बढ़ती आय ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को बढ़ा दिया है।
- **मौसमी भीड़:** पीक सीजन के दौरान खराब प्रबंधन से भीड़ बढ़ जाती है।

ओवरटूरिज्म/अतिपर्यटन का प्रभाव

- **पर्यावरणीय क्षति:**
  - **बाली:** उबुद के चावल की टहनियों जैसे प्रतिष्ठित आकर्षणों पर भीड़भाड़, मिट्टी का कटाव और पारिस्थितिकी तनाव का सामना करना पड़ रहा है।
  - **जोशीमठ:** भूमि के धंसने के कारण इसे "डूबता हुआ शहर" कहा जाता है, जो हिमालय के नाजुक पर्यावरण को दर्शाता है।
  - **मासाई मारा:** भीड़भाड़ वाली सफ़ारी वन्यजीवों के व्यवहार को बाधित करती है और आवासों को हानि पहुँचाती है।
- **सांस्कृतिक क्षरण:**
  - बाली जैसे स्थानों में पारंपरिक अनुष्ठानों में प्रायः अनजान पर्यटकों द्वारा बाधा उत्पन्न की जाती है।
  - गोवा में भीड़भाड़ के कारण इसकी प्रामाणिक संस्कृति का आकर्षण कम हो गया है, जिससे विदेशी पर्यटकों की संख्या प्रभावित हुई है।
- **आर्थिक तनाव:**
  - यद्यपि पर्यटन से राजस्व प्राप्त होता है, लेकिन स्थानीय बुनियादी ढांचे, पर्यावरण और समुदायों पर दीर्घकालिक लागत प्रायः लाभ से अधिक होती है।
- **मानव निर्मित आपदाएँ:**
  - अत्यधिक भीड़ और अनुचित भीड़ प्रबंधन के कारण भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

आगे की राह

- **वैकल्पिक गंतव्यों को बढ़ावा दें:** लोकप्रिय स्थानों पर दबाव कम करने के लिए यात्रियों को कम-ज्ञात स्थानों पर ले जाएँ।
- **आगंतुक कैप लागू करें:** दैनिक या मौसमी पर्यटकों की संख्या पर सीमाएँ लागू करें।
- **पूरे वर्ष पर्यटन फैलाएँ:** भीड़ को संतुलित करने के लिए ऑफ-सीजन यात्रा को प्रोत्साहित करें।
- जागरूकता बढ़ाएँ

Source: IT

इसरो ने ESA के Proba-3 सैटेलाइट के साथ PSLV-C59 रॉकेट प्रक्षेपित किया

सन्दर्भ

- PSLV-C59 ने न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) के एक समर्पित वाणिज्यिक मिशन के रूप में Proba-3 अंतरिक्ष यान को अत्यधिक अण्डाकार कक्षा में ले जाया।
    - PSLV-C59/Proba-3 मिशन अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की बढ़ती शक्ति और वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र में इसकी बढ़ती प्रमुखता का प्रमाण है।

Proba-3 मिशन (जहाज पर स्वायत्तता के लिए परियोजना) के बारे में

- **उद्देश्य:** सटीक संरचना उड़ान का उपयोग करके सूर्य के कोरोना का निरीक्षण करना - जो विश्व में पहली बार हुआ है।
- **अंतरिक्ष यान:** मिशन दो अंतरिक्ष यान का उपयोग करता है:
    - **कोरोनाग्राफ:** सूर्य के कोरोना का अध्ययन करता है।
    - **ऑकल्टर:** बेहतर अवलोकन के लिए कृत्रिम ग्रहण बनाने के लिए सूर्य को अवरुद्ध करता है।

भारत के लिए लाभ

- **वैश्विक बाजार में उपस्थिति:** भारत वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का 2-3% हिस्सा रखता है, जिसमें तेजी से वृद्धि की संभावना है।
- **आर्थिक विकास:** वाणिज्यिक प्रक्षेपणों में वृद्धि और अंतरिक्ष से संबंधित प्रौद्योगिकियों का विकास आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन में योगदान दे सकता है। विदेशी उपग्रह प्रक्षेपणों (2022) से 279 मिलियन डॉलर से अधिक की आय हुई।
- **तकनीकी उन्नति:** प्रोबा-3 जैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में भाग लेने से तकनीकी उन्नति को बढ़ावा मिलता है और वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग में भारत की स्थिति मजबूत होती है।
- **रणनीतिक महत्व:** भारत की बढ़ती अंतरिक्ष क्षमताएँ इसकी रणनीतिक स्वायत्तता और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अन्वेषण में इसकी भूमिका को बढ़ाती हैं।

महत्वपूर्ण पहल

- **IN-SPACe:** यह नियामक संस्था भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- **भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023:** अद्यतन नीति का उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र को और अधिक उदार बनाना तथा निजी निवेश एवं नवाचार को प्रोत्साहित करना है।
- **स्टार्टअप और SSLV :** निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप का उदय और SSLV का विकास एक जीवंत और प्रतिस्पर्धी अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।

Source: TH

संक्षिप्त समाचार

हॉर्नबिल महोत्सव

समाचार में

- हॉर्नबिल महोत्सव को 25 वर्ष पूरे हो गए हैं।

हॉर्नबिल महोत्सव

- **परिचय.**: नागालैंड राज्य द्वारा वर्ष 2000 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इसका नाम हॉर्नबिल के नाम पर रखा गया है, जो नागा लोककथाओं में साहस और भव्यता का प्रतीक है।
- **स्थान:** किसामा हेरिटेज विलेज में आयोजित किया जाता है, जो प्रत्येक जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाले 17 स्वदेशी घरों (मोरंग) के माध्यम से नागा विरासत को संरक्षित करने वाला एक सांस्कृतिक केंद्र है।
- **महत्व:** नागालैंड, जिसे "त्योहारों की भूमि" के रूप में जाना जाता है, 17 प्रमुख जनजातियों का घर है, जिनमें से प्रत्येक के अपने अद्वितीय त्यौहार और परंपराएँ हैं।
    - यह त्यौहार अंतर-जनजातीय संपर्क को बढ़ावा देता है और राज्य की विरासत को संरक्षित करता है।
    - यह भारत की विविधता में एकता को दर्शाता है, जहाँ विभिन्न सांस्कृतिक प्रथाएँ एक मजबूत, लचीली राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए सामंजस्यपूर्ण रूप से सह-अस्तित्व में हैं।

Source: TH

69वां महापरिनिर्वाण दिवस

सन्दर्भ

- महापरिनिर्वाण दिवस प्रत्येक वर्ष 6 दिसंबर को डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। उनका निधन 1956 में हुआ था।

डॉ. भीम राव अम्बेडकर का योगदान

- **दलित अधिकारों के चैंपियन:** अंबेडकर ने जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और उनके प्रयासों से भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन हुआ।
    - उन्होंने महाद सत्याग्रह (1927) जैसे आंदोलनों का नेतृत्व किया, जिसमें दलितों के सार्वजनिक जल टैंकों और मंदिरों तक पहुँचने के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी।
    - उन्होंने 1930 में कालाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह का भी आयोजन किया, जिसमें दलितों को उन मंदिरों में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया गया, जहाँ पहले उन्हें प्रवेश करने से रोका गया था।
- **भारतीय संविधान:** प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में, अंबेडकर ने भारत के संविधान को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसमें समानता, न्याय और मानवाधिकारों के सिद्धांत निहित हों।
- **सामाजिक सुधार:** उन्होंने महिलाओं के अधिकारों, शिक्षा और सामाजिक न्याय की वकालत की।
    - उन्होंने हिंदू कोड बिल सहित सामाजिक समानता को बढ़ावा देने वाले कानूनों को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका उद्देश्य महिलाओं को विवाह और संपत्ति में अधिकार प्रदान करना था।

- **श्रमिक अधिकार:** वे भारतीय लेबर पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और उन्होंने औद्योगिक श्रमिकों के लिए श्रम अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए कार्य किया।
    - उन्होंने श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी, काम के घंटे और सामाजिक सुरक्षा की समर्थन किया।

Source: HT

संसद ने भारतीय वायुयान विधेयक पारित किया

सन्दर्भ

- राज्यसभा ने भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पारित किया, जिसने विमान अधिनियम, 1934 का स्थान लिया।
    - लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी थी।

परिचय

- विधेयक में विमान अधिनियम के आधारभूत ढांचे को बरकरार रखा गया है, जबकि इसमें प्रमुख सुधार प्रस्तुत किए गए हैं।
- BVV का उद्देश्य विमान के डिजाइन, निर्माण, रखरखाव, कब्जे, उपयोग, संचालन, बिक्री, निर्यात और आयात तथा आकस्मिक मामलों को विनियमित एवं नियंत्रित करना है।

मुख्य परिवर्तन

- **प्रमाणन प्राधिकरण में परिवर्तन:** रेडियोटेलीफोन ऑपरेटर के प्रतिबंधित प्रमाणपत्र के लिए परीक्षण, जो पहले दूरसंचार विभाग के अधीन था, अब नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) को सौंपा गया है।
    - यह एकल-खिड़की मंजूरी प्रणाली बनाकर विमानन कर्मियों के लिए प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है।
- **विस्तारित विनियामक दायरा:** DGCA के पास अब विमान डिजाइन और इसमें शामिल सुविधाओं की देखरेख करने के लिए अतिरिक्त शक्तियाँ हैं।
- **बढ़ी हुई अपील प्रणाली:** विधेयक दंड पर निर्णय के लिए अपील का दूसरा स्तर प्रसतुत करता है, जिससे अधिक व्यापक शिकायत निवारण सुनिश्चित होता है।

महत्व

- BVV भारत के विमानन विनियमों को आधुनिक बनाता है, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाता है, तथा इस क्षेत्र में बेहतर दक्षता सुनिश्चित करता है।
- इन परिवर्तनों का उद्देश्य भारत के बढ़ते विमानन उद्योग में सुरक्षा, नवाचार और सुव्यवस्थित शासन को बढ़ावा देना है।

Source: TH

पनडुब्बी/सबमरीन केबल लचीलेपन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार संस्था

सन्दर्भ

- अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) और अंतर्राष्ट्रीय केबल संरक्षण समिति (ICPC) ने संयुक्त रूप से सबमरीन केबल लचीलेपन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार निकाय का गठन किया है।

सबमरीन केबल्स क्या हैं?

- **परिभाषा:** सबमरीन केबल समुद्र तल पर बिछाई गई फाइबर ऑप्टिक केबल होती हैं, जो देशों और महाद्वीपों में दो या दो से अधिक लैंडिंग पॉइंट को जोड़ती हैं।
- **भारत की भूमिका:** भारत वैश्विक सबमरीन केबल नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, जिसके पास मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों में 17 अंतर्राष्ट्रीय केबल और 14 लैंडिंग स्टेशन हैं।
  - 2022 के अंत तक, इन केबलों की कुल प्रकाशित क्षमता और सक्रिय क्षमता क्रमशः 138.606 Tbps और 111.111 Tbps थी।
- **महत्व:** सबमरीन केबल वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, जो 99% से अधिक अंतर्राष्ट्रीय डेटा एक्सचेंज को वहन करती हैं।
  - वे ई-कॉमर्स, वित्तीय लेनदेन और वैश्विक संचार जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं का समर्थन करते हैं।

सलाहकार निकाय का महत्व

- **उन्नत लचीलापन:** वैश्विक कनेक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करता है।
- **आर्थिक स्थिरता:** वाणिज्य और वित्तीय प्रणालियों के लिए महत्वपूर्ण डेटा का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करता है।
- **भविष्य की तैयारी:** डेटा ट्रैफ़िक में वृद्धि, जलवायु जोखिम और बुनियादी ढांचे की उम्र बढ़ने जैसे मुद्दों को संबोधित करता है। अंतर्राष्ट्रीय नीतियों पर परामर्श करने के लिए निकाय वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगा।

अंतर्राष्ट्रीय केबल संरक्षण समिति (ICPC)

- 1958 में स्थापित ICPC, पनडुब्बी/सबमरीन केबल उद्योग में शामिल सरकारों और वाणिज्यिक संस्थाओं के लिए एक वैश्विक मंच है।
- इसका प्राथमिक मिशन तकनीकी, कानूनी और पर्यावरणीय सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करके समुद्र तल के नीचे केबल की सुरक्षा को बढ़ाना है।

Source: PIB

भारत और स्लोवेनिया ने पांच वर्षीय सहयोग योजना की घोषणा की

सन्दर्भ

- भारत और स्लोवेनिया ने 2024-2029 की अवधि के लिए सहयोग कार्यक्रम (PoC) को अंतिम रूप देने की घोषणा की है।

परिचय

- भारत-स्लोवेनिया साझेदारी, जो 1995 के समझौते पर आधारित है, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से बढ़ी है।
- यह PoC हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों और सतत नवाचार जैसे परिवर्तनकारी क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान के अवसर खोलेगा, साथ ही अधिक से अधिक शैक्षणिक आदान-प्रदान की सुविधा भी प्रदान करेगा।

सहयोग कार्यक्रम (PoC) क्या है?

- यह दो देशों के बीच एक औपचारिक समझौता है जिसे विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- PoC दीर्घकालिक सहयोग के लिए एक संरचित ढांचे के रूप में कार्य करता है, जो राष्ट्रों को

सहयोगी नवाचार के माध्यम से वैश्विक चुनौतियों का समाधान करते हुए वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के बीच नेटवर्क विकसित करने में सक्षम बनाता है।

Source: PIB

UGC ने UG और PG डिग्री के लिए मसौदा दिशानिर्देश जारी किए

सन्दर्भ

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने उच्च शिक्षा संस्थानों (HEIs) के लिए न्यूनतम मानकों को रेखांकित करते हुए मसौदा विनियम जारी किए हैं।

परिचय

- **प्रयोज्यता(Applicability):** ये विनियम केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियमों द्वारा स्थापित सभी विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों और ऐसे विश्वविद्यालयों से संबद्ध संस्थानों पर लागू होते हैं।
- **अर्धवार्षिक प्रवेश:** छात्रों को जुलाई/अगस्त और जनवरी/फरवरी में वर्ष में दो बार नामांकन करने की अनुमति देना।
- **एकाधिक प्रवेश-निकास:** छात्र बिना प्रगति खोए पाठ्यक्रम छोड़ सकते हैं और फिर से शामिल हो सकते हैं, जिससे शिक्षा अधिक सुलभ हो जाती है।
- **लचीली डिग्री:** बहु-विषयक शिक्षा को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य, छात्रों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने शैक्षणिक मार्ग को डिजाइन करने की अनुमति देना।
    - यदि छात्र यूजी/पीजी कार्यक्रम के विषय में राष्ट्रीय स्तर या विश्वविद्यालय स्तर की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करता है, तो वह यूजी कार्यक्रम या पीजी कार्यक्रम के किसी भी विषय में प्रवेश के लिए पात्र है।
    - स्नातक डिग्री की अवधि तीन या चार वर्ष होगी, और स्नातकोत्तर डिग्री सामान्यतः एक वर्ष या दो वर्ष की होगी।
    - अन्य प्रस्तावों में लचीली उपस्थिति नीतियाँ, पूर्व शिक्षा की मान्यता और कौशल-आधारित मूल्यांकन शामिल हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)

- 1956 में स्थापित, यह विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों को वित्त पोषण प्रदान करता है, शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करता है, और उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान को बढ़ावा देता है।
- UGC के प्रमुख कार्यों में शामिल हैं:
    - **विश्वविद्यालयों को मान्यता देना:** यह भारत में विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है।
    - **वित्त पोषण:** विकास, अनुसंधान एवं अन्य शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
    - **मानकों को विनियमित करना:** उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षण, अनुसंधान और बुनियादी ढांचे में गुणवत्ता मानक निर्धारित करता है।
    - **शैक्षणिक विकास को बढ़ावा देना:** विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान, नवाचार और नए पाठ्यक्रमों के विकास को प्रोत्साहित करता है।

Source: IE

मारबर्ग विषाणु रोग [Marburg Virus Disease (MVD)]

समाचार में

- अफ्रीका के रवांडा में मारबर्ग विषाणु रोग (MVD) का घातक प्रकोप सामने आया है, जिसे प्रायः 'आंखों से खून बहने वाला रोग' कहा जाता है।

MVD (जिसे मारबर्ग रक्तस्रावी बुखार के नाम से भी जाना जाता है) के बारे में

- **इबोला का जुड़वाँ:** MVD, इबोला की तरह ही फिलोवायरस परिवार से संबंधित है।
  - दोनों ही दुर्लभ लेकिन गंभीर प्रकोप का कारण बनते हैं, जिनमें मृत्यु दर बहुत अधिक होती है।
- **उत्पत्ति:** पहला प्रकोप जर्मनी के मारबर्ग (1967) में हुआ था।
  - तंजानिया, घाना और अब रवांडा सहित पूरे अफ्रीका में इसके बाद के प्रकोपों की सूचना मिली है।
- **संचरण:** फल चमगादड़ की एक प्रजाति, रूसेटस एजिपियाकस, इसका प्राकृतिक स्रोत है। संक्रमित फल चमगादड़ों से वायरस मनुष्यों में फैलता है।
  - संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क के माध्यम से मनुष्य से मनुष्य में संचरण होता है
- **लक्षण:** गंभीर सिरदर्द, दर्द, आँखों, मसूड़ों, नाक से खून आना।
- **निदान और उपचार:** ELISA या RT-PCR परीक्षणों का उपयोग करके निदान किया जाता है।
  - कोई स्वीकृत टीके या विशिष्ट एंटीवायरल नहीं, केवल सहायक देखभाल।

Source: IE

NHAI ठेकेदार रेटिंग प्रणाली

समाचार में

- NHAI ने गड्ढों और दरारों के कारण सड़कों की खराब स्थिति को लेकर आलोचना के जवाब में राजमार्गों का रखरखाव करने वाले ठेकेदारों के लिए एक नई रेटिंग प्रणाली शुरू की है।

NHAI ठेकेदार रेटिंग प्रणाली

- प्रदर्शन सुधार को प्रोत्साहित करने के लिए NHAI की वेबसाइट और सोशल मीडिया पर रेटिंग प्रकाशित की जाएगी।
- **तंत्र:** ठेकेदारों का मूल्यांकन पाँच मापदंडों पर किया जाएगा: खुरदरापन, गड्ढे, गड्ढे की गहराई, सतह पर दरारें, पैचवर्क और उखड़ना।
  - 100 में से 60 से कम अंक पाने वाले ठेकेदारों को "गैर-निष्पादक" करार दिया जाएगा, जिससे भविष्य में उनके अनुबंधों की संभावना कम हो जाएगी।
- **मूल्यांकन और डेटा संग्रह:** NHAI राजमार्ग की स्थिति का आकलन करने के लिए कैमरों और सेंसर के साथ नेटवर्क सर्वेक्षण वाहन (NSV) तैनात करेगा, जो प्रत्येक 100 मीटर पर डेटा कैप्चर करेगा। इस डेटा को 48 घंटों के अंदर संसाधित किया जाएगा।
- **स्वचालन:** नई प्रणाली सेंसर द्वारा कैप्चर किए गए 3D डेटा का उपयोग करके, बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के कार्य करेगी। ठेकेदारों को सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए स्वचालित रूप से नोटिस तैयार किए जाएँगे, जिसमें तेज़ प्रतिक्रिया के लिए रंग कोड होंगे।
- **गैर-अनुपालन के परिणाम:** यदि ठेकेदार समय पर सड़कों में सुधार नहीं करते हैं, तो NHAI मरम्मत करेगा और उनसे लागत वसूल करेगा।

पहल का महत्व

- इससे सड़क की गुणवत्ता और बेहतर होगी।
- पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।
- सटीक मूल्यांकन के लिए NSVs जैसे उन्नत उपकरणों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा।

Source: TOI

राष्ट्रीय कानूनी माप विज्ञान पोर्टल (eMaap)

सन्दर्भ

- उपभोक्ता मामले विभाग, राष्ट्रीय कानूनी मेट्रोलॉजी पोर्टल (eMaap) विकसित कर रहा है।

परिचय

- **उद्देश्य:** राज्य विधिक मापविज्ञान विभागों और उनके पोर्टलों को एकीकृत राष्ट्रीय प्रणाली में एकीकृत करना।
  - लाइसेंस जारी करने, सत्यापन करने एवं प्रवर्तन और अनुपालन के प्रबंधन के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना।
- **आवश्यकता:** eMaap हितधारकों के लिए कई राज्य पोर्टलों पर पंजीकरण करने की आवश्यकता को समाप्त करता है, जिससे व्यापार करने में आसानी होती है और व्यापार प्रथाओं में पारदर्शिता आती है।
  - वर्तमान में, राज्य सरकारें पैकेज्ड वस्तुओं के पंजीकरण, लाइसेंस जारी करने और तौल एवं माप उपकरणों के सत्यापन/मुद्रांकन के लिए अपने स्वयं के पोर्टल का उपयोग कर रही हैं।

Source: PIB

बिज़नेस 4 लैंड पहल (Business 4 Land Initiative)

सन्दर्भ

- बिजनेस फॉर लैंड फोरम में वैश्विक व्यापार जगत के नेता, नीति निर्माता और विशेषज्ञ स्थायी भूमि समाधान एवं लचीलापन निर्माण पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं।
  - यह सऊदी अरब के रियाद में आयोजित संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन (UNCCD) के पार्टियों के सम्मेलन (COP16) के सोलहवें सत्र का हिस्सा था।

बिजनेस 4 लैंड पहल(B4L)

- **द्वारा शुरू किया गया:** UNCCD (संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए सम्मेलन) [कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता]
- **उद्देश्य:** निजी क्षेत्र के अभिनेताओं को स्थायी भूमि प्रबंधन रणनीतियों में शामिल करना।
- **समर्थन:** विश्व आर्थिक मंच, सतत विकास के लिए विश्व व्यापार परिषद सतत फाइबर गठबंधन, आदि
- **B4L का महत्व:** निजी क्षेत्र के अंदर स्थायी भूमि प्रबंधन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
  - व्यवसायों को स्थायी प्रथाओं के लिए प्रतिबद्ध होने और भूमि पुनर्स्थापना में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना
  - भूमि क्षरण तटस्थता की दिशा में प्रगति में तेजी लाने के लिए व्यवसायों, सरकारों और नागरिक समाज के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।

Source: UN

■■■■